

डिक्री मुकदमा इब्तदाई

(ओ 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

4

अदालत उपजिला कलक्टर मुकाम टोडाभीम कैंपकोर्ट शहराकटर
 लास जगदीश झाक र.म.ड

या पुत्र लोहेशराम
कोली
सुजानपुरा
तहसील टोडाभीम

उनवान


बनाम

1. चनसिंह पुत्र रामसहाय
2. काइ पुत्र रामसहाय
3. नरेश पुत्र चनसिंह
4. पुरुषोत्तम पुत्र चनसिंह
5. चतरा पत्नि काइ
6. नरदा पत्नि चनसिंह

समस्त जाति कोली निःसुजानपुरा
 तहसील टोडाभीम
 मुकदमा नं० 53 सन् 2013

मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई सबई हजारे व हाजिरी
वेन्दु कुमार शर्मा निवा मिनकानिब गुदई सबस श्री सुरेश चंद शर्मा निवा
 मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है। व डिक्री दी जाती है कि

गदी का दावा स्थाची निषेधाना खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री
 किया जाता है तथा प्रतिवादीगण को स्थाची निषेधाना
पाबन्द किया जाता है कि शाम सुजानपुरा तहसील टोडाभीम
श्रीमि खसरा नम्बर 550 रकबा 1.23 हैं अे वादी के कब्जे
 गश्त में मजामहत अदाखलत नही को नही चिही अफ
 वे करावे /



मुबलिया

बाबत

खर्चा इस मुकदमे के मय

फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक

दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 6 सन् 16
 जारी की गई।

मुहर

उपजिला कलक्टर
 दस्तखत टोडाभीम (कोली)
 ओहदा

	रुपया	पैसे	मुदायला	रुपया	पैसे
दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
दावा नामा			स्टाम्प अर्जी		
सबूत			महन्ताना वकील		
कील			खर्चा गवाहान		
न			फीस कमिशनर		
नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
य हुक्मनामा			मुतफरिक		
जान			मीजान		

नोट : इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिखया गया हो या नही दर्ज कराना चाहिए ।